राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 5(1)कार्मिक/क–2/2022 जयपुर, दिनांकः 2.9.2024

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान स्थायी पूर्ण द्विव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 2023 के अन्तर्गत देय अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.04.2023 के द्वारा राजस्थान स्थायी पूर्ण द्विव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 जारी किये गये है। इन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों मे डयूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त/आयोग्य (Disabled) होने एवं उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति लिये जाने पर उनके एक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में कई विभागों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर राय प्राप्त करने के प्रकरण कार्मिक विभाग में प्राप्त हुए है। अतः उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में नियुक्ति प्रदान करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विधि विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श कर निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में रहते हुए उक्त नियम 2023 के जारी होने की तिथि 26.04.2023 से पूर्व वर्षों में दुर्घटना हुई हो, परन्तु स्थाई रूप से दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से उक्त नियम, 2023 के लागू होने (अर्थात 26.04.2023) के पश्चात जारी हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उनके आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। अतः किसी कर्मचारी की स्थाई पूर्ण द्विव्यांगता, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जानी है।

2. राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में **कर्तव्य** (Duty) को परिभाषित किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण, स्थाई रूप से दिव्यांगता से ग्रस्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में तभी माना जायेगा जब वह अपने कार्यालय में उपस्थिति दे देता है और ड्यूटी से पृथक तब हो जाता है जब वह कार्यालय समय पूर्ण होने के पश्चात कार्यालय छोड देता है। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी में वह कर्मचारी भी

शामिल है जो कार्यालय अवकाश होने के बावजूद भी सक्षम अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यालय में उपस्थित हो गया है।

3. स्थाई पूर्ण द्विव्यांग कर्मचारी का उसके स्थाई पूर्ण द्विव्यांगता से ग्रस्त होने के जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के एक वर्ष के भीतर–भीतर राज. सिविल सेवा (पेशंन) नियम, 1996 के नियम, 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवा निवृति स्वीकृत होना आवश्यक है।
4. राज. सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृति के लिए आवेदन किया जाना पर्याप्त नही है अपितु सेवानिवृति स्वीकृत होना आवश्यक है। साथ ही सेवा निवृति स्वीकृत करने से पूर्व विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी को अपने स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि क्या कर्मचारी द्विव्यांगता नियम 2023 के अन्तर्गत नियमानुसार स्थाई पूर्ण द्विव्यांगता की पात्रता रखता है अथवा नहीं। अन्यथा कर्मचारी द्वारा निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृति लेने के बावजूद भी नियमानुसार उसके आश्रित को नियुक्ति देय नही होने पर कर्मचारी को आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन सकती है।

उपरोक्त के अलावा कुछ प्रकरण ऐसे भी हो सकते है जो नियमो के अर्न्तगत कवर नही हो पाते है, ऐसे प्रकरणो का परीक्षण उक्त नियम 2023 के नियम 14 के अर्न्तगत कार्मिक विभाग के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर राय प्रदान की जा सकती है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये उक्त नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

47/2024